

Ref. No. :

Date :

इच्छा की अभिव्यक्ति

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से बी.सी.सी. एल. के विभिन्न क्षेत्रों, यथा—बरोरा, ब्लॉक—II, गोविन्दपुर, कतरास, सिजुआ, कुसुण्डा, बस्ताकोला, लोदना, पी.बी. एरिया, पश्चिमी झरिया, पूर्वी झरिया एवं चॉच—विक्टोरिया के विभिन्न कोलियरी में फैले हुए 595 स्थलों के अग्नि एवं भू—स्खलन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है। ऐसे सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 91879 है जिसका सत्यापन करना है। इसके लिए प्रत्येक स्थल पर जाकर सर्वेक्षित सूची के अनुसार परिवारों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचना एकत्र करते हुए प्राप्त सूचना को विहित प्रपत्र में समर्पित किया जाना है।

अतः उपर्युक्त कार्य के लिए इच्छुक स्वयंसेवी संस्था/गैर सरकारी संगठन दिनांक—10.07.18 के अपराह्न 03:00 बजे तक अपना-अपना मुहरबन्द प्रस्ताव (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफे में) निम्न दस्तावेजों/कागजातों यथा :-

1. आवेदन पत्र।
2. एजेन्सी का पंजीकरण संबंधी कागजात।
3. विगत तीन वर्षों का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन।
4. संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
5. पैन कार्ड की छायाप्रति एवं अद्यतन आयकर रिटर्न।
6. GST निबंधन प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन GST रिटर्न।
7. एजेन्सी को किसी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नही होने संबंधी नोटरी या प्रथम श्रेणी मेजिस्ट्रेट के समक्ष किया हुआ शपथ-पत्र।
8. ₹ 50,000/- रुपये का सुरक्षित जमा डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में Jharia Rehabilitation and Development Authority (Payable at Dhanbad) के नाम से निर्गत।
9. सर्वे सत्यापन हेतु कार्य योजना।

के साथ उक्त सभी वांछित कागजातों के साथ। जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में रखे हुए पेटिका में या REGISTERED डाक से समर्पित कर सकते हैं। दिनांक 10.07.18 के 03:00 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं है। सत्यापन का प्रति HOUSEHOLD दर 10:00 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए। सत्यापन कार्य AGREEMENT की तिथि से एक माह के अन्दर पुरा करना होगा। सभी मुहरबन्द निविदा **उप विकास आयुक्त, धनबाद—सह—परियोजना निदेशक**, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के नाम से समर्पित करना है। जाँच करने हेतु सामग्री एवं प्रपत्र जे0आर0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे सभी प्राप्त निविदा दिनांक 10.07.18 के अपराह्न 03:30 बजे जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने खोला जायेगा। उपर्युक्त किसी भी दस्तावेज के नहीं रहने पर संबंधित निविदा रद्द की जा सकती है। इसे जे0आर0डी0ए0 के website – www.jrda.in पर भी देखा जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए जे0आर0डी0ए0 कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। कोई भी वैधानिक कार्रवाई धनबाद न्यायालय क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

उपायुक्त, धनबाद—सह—प्रबंध निदेशक
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद

Ref. No. :

Date :

2nd Call

इच्छा की अभिव्यक्ति

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से बी.सी.सी. एल. के विभिन्न क्षेत्रों, यथा—बरोरा, ब्लॉक—II, गोविन्दपुर, कतरास, सिजुआ, कुसुण्डा, बस्ताकोला, लोदना, पी.बी. एरिया, पश्चिमी झरिया, पूर्वी झरिया एवं चाँच—विक्टोरिया के विभिन्न कोलियरी में फैले हुए 595 स्थलों के अग्नि एवं भू—स्खलन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है। ऐसे सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 91879 है जिसका सत्यापन करना है। इसके लिए प्रत्येक स्थल पर जाकर सर्वेक्षित सूची के अनुसार परिवारों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचना एकत्र करते हुए प्राप्त सूचना को विहित प्रपत्र में समर्पित किया जाना है।

अतः उपर्युक्त कार्य के लिए इच्छुक स्वयंसेवी संस्था/गैर सरकारी संगठन दिनांक—10.07.18 के अपराह्न 03:00 बजे तक अपना-अपना मुहरबन्द प्रस्ताव (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफे में) निम्न दस्तावेजों/कागजातों यथा :-

10. आवेदन पत्र।
11. एजेन्सी का पंजीकरण संबंधी कागजात।
12. विगत तीन वर्षों का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन।
13. संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
14. अद्यतन आयकर रिटर्न।
15. अद्यतन GST रिटर्न/रजिस्ट्रेशन संबंधी कागजात।
16. एजेन्सी को किसी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डालने संबंधी स्व-घोषणा पत्र।
17. ₹ 50,000/- रुपये का सुरक्षित जमा डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में Jharia Rehabilitation and Development Authority (Payable at Dhanbad) के नाम से निर्गत।
18. सर्वे सत्यापन हेतु कार्य योजना।

के साथ उक्त सभी वांछित कागजातों के साथ। जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में रखे हुए पेटिका में या REGISTERED डाक से समर्पित कर सकते हैं। दिनांक 10.07.18 के 03:00 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं है। सत्यापन का प्रति HOUSEHOLD दर 5:00 रु0 से अधिक नहीं होना चाहिए। सत्यापन कार्य AGREEMENT की तिथि से एक माह के अन्दर पुरा करना होगा। सभी मुहरबन्द निविदा **उप विकास आयुक्त, धनबाद—सह—परियोजना निदेशक**, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के नाम से समर्पित करना है। जाँच करने हेतु सामग्री एवं प्रपत्र जे0आर0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे सभी प्राप्त निविदा दिनांक 10.07.18 के अपराह्न 03:30 बजे जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने खोला जायेगा। उपर्युक्त किसी भी दस्तावेज के नहीं रहने पर संबंधित निविदा रद्द की जा सकती है। इसे जे0आर0डी0ए0 के website – www.jrda.in पर भी देखा जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए जे0आर0डी0ए0 कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। कोई भी वैधानिक कार्रवाई धनबाद न्यायालय क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

ह०/—

उपायुक्त, धनबाद—सह—प्रबंध निदेशक
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद

Ref. No. :

Date :

इच्छा की अभिव्यक्ति

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से बी.सी.सी. एल. के विभिन्न क्षेत्रों, यथा—बरोरा, ब्लॉक—II, गोविन्दपुर, कतरास, सिजुआ, कुसुण्डा, बस्ताकोला, लोदना, पी.बी. एरिया, पश्चिमी झरिया, पूर्वी झरिया एवं चाँच—विक्टोरिया के विभिन्न कोलियरी में फैले हुए 595 स्थलों के अग्नि एवं भू—स्खलन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है। ऐसे सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 91879 है जिसका सत्यापन करना है। इसके लिए प्रत्येक स्थल पर जाकर सर्वेक्षित सूची के अनुसार परिवारों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचना एकत्र करते हुए प्राप्त सूचना को विहित प्रपत्र में समर्पित किया जाना है।

अतः उपर्युक्त कार्य के लिए इच्छुक स्वयंसेवी संस्था/गैर सरकारी संगठन दिनांक—25.06.18 के अपराह्न 03:00 बजे तक अपना-अपना मुहरबन्द प्रस्ताव अपने-अपने अंकेक्षण दस्तावेज, कार्यानुभव, अद्दतन अंकेक्षण प्रतिवेदन, अद्दतन INCOME TAX RETURN और सर्वे सत्यापन हेतु कार्ययोजना के साथ ₹50,000/- रुपये का सुरक्षित जमा डीमाण्ड ड्राफ्ट (Demand Draft) के रूप में (झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के नाम से निर्गत)। जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में रखे हुए पेटिका में या REGISTERED डाक से समर्पित कर सकते हैं। दिनांक 25.06.18 के 03:00 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं है। सत्यापन का प्रति HOUSEHOLD दर 5:00 रू0 से अधिक नहीं होना चाहिए। सत्यापन कार्य AGREEMENT की तिथि से एक माह के अन्दर पुरा करना होगा। सभी मुहरबन्द निविदा उप विकास आयुक्त, धनबाद—सह—परियोजना निदेशक, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के नाम से समर्पित करना है। जाँच करने हेतु सामग्री एवं प्रपत्र जे0आर0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे सभी प्राप्त निविदा दिनांक 25.06.18 के अपराह्न 03:30 बजे जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने खोला जायेगा। उपर्युक्त किसी भी दस्तावेज के नहीं रहने पर संबंधित निविदा रद्द की जा सकती है। इसे जे0आर0डी0ए0 के website – www.jrda.in पर भी देखा जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए जे0आर0डी0ए0 कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। कोई भी वैधानिक कार्रवाई धनबाद न्यायालय क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

ह0/-

उप विकास आयुक्त, धनबाद –सह—परियोजना निदेशक
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद

Ref. No. :

Date :

इच्छा की अभिव्यक्ति

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से बी.सी.सी.एल. के विभिन्न क्षेत्रों, यथा-बरोरा, ब्लॉक-II, गोविन्दपुर, कतरास, सिजुआ, कुसुण्डा, बस्ताकोला, लोदना, पी.बी.एरिया, पश्चिमी झरिया, पूर्वी झरिया एवं चाँच-विक्टोरिया के विभिन्न कोलियरी में फैले हुए 595 स्थलों के अग्नि एवं भू-स्खलन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है। ऐसे सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 91879 है जिसका सत्यापन करना है। इसके लिए प्रत्येक स्थल पर जाकर सर्वेक्षित सूची के अनुसार परिवारों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचना एकत्र करते हुए प्राप्त सूचना को विहित प्रपत्र में समर्पित किया जाना है।

अतः उपर्युक्त कार्य के लिए इच्छुक स्वयंसेवी संस्था/गैर सरकारी संगठन दिनांक-07.07.18 के अपराह्न 03:00 बजे तक अपना-अपना मुहरबन्द प्रस्ताव (तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफे में) निम्न दस्तावेजों/कागजातों यथा :-

1. आवेदन पत्र।
2. एजेन्सी का पंजीकरण संबंधी कागजात।
3. विगत तीन वर्षों का अद्यतन अंकेक्षण प्रतिवेदन।
4. संबंधित क्षेत्र में कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र।
5. अद्यतन आयकर रिटर्न।
6. अद्यतन GST रिटर्न/रजिस्ट्रेशन संबंधी कागजात।
7. एजेन्सी को किसी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में नही डालने संबंधी स्व-घोषणा पत्र।
8. ₹ 50,000/- रुपये का सुरक्षित जमा डीमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में Jharia Rehabilitation and Development Authority के नाम से निर्गत।
9. सर्वे सत्यापन हेतु कार्य योजना।

के साथ उक्त सभी वांछित कागजातों के साथ। जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में रखे हुए पेटिका में या REGISTERED डाक से समर्पित कर सकते हैं। दिनांक 07.07.18 के 03:00 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं है। सत्यापन का प्रति HOUSEHOLD दर 5:00 रु0 से अधिक नहीं होना चाहिए। सत्यापन कार्य AGREEMENT की तिथि से एक माह के अन्दर पुरा करना होगा। सभी मुहरबन्द निविदा उप विकास आयुक्त, धनबाद-सह-परियोजना निदेशक, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के नाम से समर्पित करना है। जाँच करने हेतु सामग्री एवं प्रपत्र जे0आर0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे सभी प्राप्त निविदा दिनांक 07.07.18 के अपराह्न 03:30 बजे जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने खोला जायेगा। उपर्युक्त किसी भी दस्तावेज के नही रहने पर संबंधित निविदा रद्द की जा सकती है। इसे जे0आर0डी0ए0 के website – www.jrda.in पर भी देखा जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए जे0आर0डी0ए0 कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। कोई भी वैधानिक कार्रवाई धनबाद न्यायालय क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

ह0/-

उप विकास आयुक्त, धनबाद –सह-परियोजना निदेशक
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद

Ref. No. :

Date :

इच्छा की अभिव्यक्ति

झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा विभिन्न एजेन्सियों के माध्यम से बी.सी.सी. एल. के विभिन्न क्षेत्रों, यथा—बरोरा, ब्लॉक—II, गोविन्दपुर, कतरास, सिजुआ, कुसुण्डा, बस्ताकोला, लोदना, पी.बी. एरिया, पश्चिमी झरिया, पूर्वी झरिया एवं चाँच—विक्टोरिया के विभिन्न कोलियरी में फैले हुए 595 स्थलों के अग्नि एवं भू—स्खलन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया है। ऐसे सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 91879 है जिसका सत्यापन करना है। इसके लिए प्रत्येक स्थल पर जाकर सर्वेक्षित सूची के अनुसार परिवारों से सम्पर्क कर आवश्यक सूचना एकत्र करते हुए प्राप्त सूचना को विहित प्रपत्र में समर्पित किया जाना है।

अतः उपर्युक्त कार्य के लिए इच्छुक स्वयंसेवी संस्था/गैर सरकारी संगठन दिनांक—25.06.18 के अपराह्न 03:00 बजे तक अपना—अपना मुहरबन्द प्रस्ताव अपने—अपने अंकेक्षण दस्तावेज, कार्यानुभव, अद्दतन अंकेक्षण प्रतिवेदन, अद्दतन INCOME TAX RETURN और सर्वे सत्यापन हेतु कार्ययोजना के साथ ₹50,000/— रुपये का सुरक्षित जमा डीमाण्ड ड्राफ्ट (Demand Draft) के रूप में (झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के नाम से निर्गत)। जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में रखे हुए पेटिका में या REGISTERED डाक से समर्पित कर सकते हैं। दिनांक 25.06.18 के 03:00 बजे अपराह्न के बाद प्राप्त निविदा स्वीकार्य नहीं है। सत्यापन का प्रति HOUSEHOLD दर 5:00 रू0 से अधिक नहीं होना चाहिए। सत्यापन कार्य AGREEMENT की तिथि से एक माह के अन्दर पुरा करना होगा। सभी मुहरबन्द निविदा उप विकास आयुक्त, धनबाद—सह—परियोजना निदेशक, झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के नाम से समर्पित करना है। जाँच करने हेतु सामग्री एवं प्रपत्र जे0आर0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे सभी प्राप्त निविदा दिनांक 25.06.18 के अपराह्न 03:30 बजे जे0आर0डी0ए0 कार्यालय में निविदाकर्ता अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने खोला जायेगा। उपर्युक्त किसी भी दस्तावेज के नहीं रहने पर संबंधित निविदा रद्द की जा सकती है। इसे जे0आर0डी0ए0 के website – www.jrda.in पर भी देखा जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए जे0आर0डी0ए0 कार्यालय से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

निविदा रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। कोई भी वैधानिक कार्रवाई धनबाद न्यायालय क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा।

ह0/—

उप विकास आयुक्त, धनबाद —सह—परियोजना निदेशक
झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार, धनबाद